न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

श्री मूलिया पुत्र भोमा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 06/2021

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि-आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 21 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/784 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध ग्राम जैला के वर्तमान खाता संख्या 166 खसरा संख्या 424 रकबा 1.6600 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 283 रकबा 11.00 बीघा है) किस्म बारानी-I का अप्रार्थी के पिता श्री भोमा पुत्र राजा जी, जाति-ढोली, निवासी-जैला को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मूलिया पुत्र भोमा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 16.9.2022 को अप्रार्थी मुलिया इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। जिस पर अप्रार्थी मुलिया को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2022 नियत की गई, लेकिन प्रकरण में नियत दिनांक 21.10.2022 को एवं उसके बाद अप्रार्थी मुलिया इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी मुलिया की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। जिससे अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मुलिया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर अप्रार्थी मुलिया के पिता भोमा पुत्र राजा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला को ग्राम जैला के वर्तमान खाता संख्या 166 खसरा संख्या 424 रकबा 1.6600 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा 283 रकबा 11.00 बीघा है) किस्म बारानी-I भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्त कराने हेतु पू[illegible] न्यायालय में अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो राजस्व निगरानी संख्या 2/2020 दर्ज होकर इस

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:32 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.2.2021 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार, सिरोही स्वयं आवंटित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके अपने स्तर पर यह निर्णय लेवे कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है अथवा नही? तथा यदि आवंटित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का वास्तविक रुप से कब्जा-काश्त नही है तो पुनः नियमानुसार इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। जिस पर इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 09.2.2021 की पालना में उक्त भूमि का मौका देखा गया। मौके पर भूमि पत्थरीली व कांटेदार झाडियों से ढकी हुई है। पूरे क्षेत्र में पत्थरीली भूमि है जिस पर काश्त होना संभव नही है। मौके की स्थिति अनुसार उक्त भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नही हुई एवं न ही काश्त होने के सबूत है। उक्त भूमि के मौके पर काश्त नही हो रही है। आवंटित भूमि पूर्णरुप से पत्थरीला क्षेत्र होने से किसी प्रकार की जुताई नही की जा सकती है। भूमि का आवंटन होने से आदिनांक तक मौके पर किसी प्रकार की काश्त नही हुई है एवं न ही भूमि कृषि योग्य है। अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त नही रहा है एवं न ही मौके पर वर्तमान में कब्जा-काश्त है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से बतौर गैरखातेदार दर्ज है, जिस पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के पुराने खसरा संख्या 283 रकबा 11.00 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 424 रकबा 1.66 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 है) भूमि का अप्रार्थी के पिता श्री भोमा पुत्र राजा जी, जाति- ढोली, निवासी- जैला को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। यह भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में अप्रार्थी मूलिया के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2074 से 2077 में आवंटित भूमि पर काश्त दर्ज नही है। इस न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 02/2020 अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 अनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही बनाम मूलिया में पारित निर्णय दिनांक 09.2.2021 की पालना में उक्त आवंटित भूमि का मौका देखकर तहसीलदार, सिरोही ने उक्त कृषि भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि मौके पर उक्त भूमि पूरा पत्थरीला क्षेत्र है एवं कांटेदार झाडियों से ढकी हुई। भूमि पत्थरीली होने से उस पर काश्त होना संभव नही है। तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि आवंटित भूमि के मौके पर आवंटन के बाद से लगातार किसी प्रकार की काश्त नही हुई एवं न ही आवंटित भूमि के मौके पर [illegible] कब्जा-काश्त रहा है। इस प्रकार, तहसीलदार, सिरोही की [illegible] रिपोर्ट [illegible] स्पष्ट है कि उक्त .

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:32 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आवंटित भूमि पर आवंटि/अप्रार्थी का आवंटन के बाद से कब्जा-काश्त नही रहा है एवं न ही मौके पर अप्रार्थी का कब्जा-कब्जा काश्त है। आवंटि/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है।

अत: प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैला के वर्तमान खाता संख्या 166 खसरा संख्या 424 रकबा 1.6600 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 283 रकबा 11.00 बीघा है) किस्म बारानी-I का आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:32 IST
Reason: SelfAttested

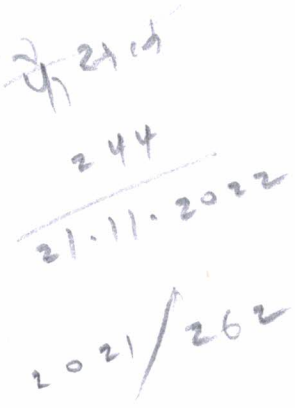

पे. 24 [illegible]

244

21.11.2022

2021/262

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:32 IST
Reason: SelfAttested